न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देसूरी (पाली)

पीठासीन अधिकारी :– श्री विवेक व्यास (R.A.S)

अपील संख्या :– 04 / 2022

दायर तारीख :– 04.08.2022

निणर्य दिनांक :– 5/6/2024

अपीलाण्ट :–

1. मनीष कुमार पुत्र घीसारामजी, जाति– सिरवी, निवासी– नारलाई तहसील– देसूरी, जिला –पाली (राज.)

बनाम

रेस्पोडेण्ट्स :–

1. तहसीलदार देसूरी, जिला – पाली
2. ग्राम पंचायत नारलाई, जरिये सरपंच नारलाई, तहसील–देसूरी

नामान्तरकरण अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम (विरूद्ध ग्राम नारलाई के ना.क. संख्या 1511 स्वीकृत दिनांक 05.12.2012)

उपस्थिति :–

1. अधिवक्ता श्री सुधीर श्रीमाली – अपीलाण्ट की ओर से।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 पैरोकार सरकार श्री शंकरलाल परिहार नायब तहसीलदार देसूरी।
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक :– 5/6/2024

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलाण्ट ने नामान्तरकरण अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि मौजा ग्राम नारलाई के खसरा नम्बर 2103 से 2111 एवं 2116 कुल रकबा 9.62 हेक्टर कृषि भूमि विद्यमान है जिसमें अपीलाण्ट के पिता घीसा पुत्र हकाजी सहखातेदार थे। अपीलाण्ट के पिता का देहांत वर्ष 2010 में हो चुका है। मृतक घीसाजी के वारिसान अपीलाण्ट सहित घीसाजी की पत्नी वरजूदेवी तथा पुत्रीयां पवनी, भंवरी, शांता व देवीबाई है। इसके अलावा कोई वारिसान नहीं है, मांगीलाल नाम का कोई पुत्र नहीं है।

5/6/2024

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पा.)

पेज लगातार 02 पर...

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

गावं के सामान्य बोलचाल की भाषा में अपीलाण्ट को मांगीलाल के नाम से पुकारते है, लेकिन सही नाम मनीष कुमार है। समस्त सरकारी दस्तावेजात में केवल मात्र मनीष कुमार नाम ही दर्ज है, प्रमाण स्वरूप ड्राईविंग लाईसेंस, पेनकार्ड, आधारकार्ड, मार्कशीट, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रमाण पत्र, कॉलेज का ट्रांसफर सर्टिफिकेट इत्यादि दस्तावेज प्रस्तुत है, जिससे स्पष्ट है कि मृतक घीसाजी के पुत्र का नाम मांगीलाल नहीं होकर अपीलाण्ट मनीष कुमार है।

यह कि उपरोक्त जैर अपील म्यूटेशन में वर्णित गलत इन्द्राज के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में अपीलाण्ट का नाम मनीष कुमार की जगह मांगीलाल दर्ज चला आ रहा है, जिससे अपीलाण्ट अपनी खातेदारी भूमि का विधिक रूप से उपयोग नहीं कर पा रहा है। उपरोक्त भूमि पर के.सी.सी. ऋण नहीं ले पा रहा है। उपरोक्त त्रुटि की जानकारी अपीलाण्ट को दिनांक 29.07.2022 को हुई, जब अपीलाण्ट द्वारा के.सी.सी लॉन के लिए जमाबंदी की नकल प्राप्त की, जिसमें अपीलाण्ट का नाम मांगीलाल दर्ज था, जिस पर हल्का पटवारी से जानकारी की, तब उनके द्वारा जैर अपील म्यूटेशन में अपीलाण्ट का मनीष कुमार के स्थान पर मांगीलाल नाम दर्ज होना बतया, जो भूल से गलत इन्द्राज हुआ है। उपरोक्त म्यूटेशन की प्रमाणित प्रति अपील के सलग्न पेश है।

यह कि अपीलाधीन म्यूटेशन पारित करने से पूर्व अपीलाण्ट को सुनवाई का विधिवत अवसर प्राप्त नहीं हुआ, साथ ही जैर अपील म्यूटेशन स्वीकृत किये जाने के समय अपीलाण्ट नाबालिग था, इस कारण से भी अपीलाण्ट को पूर्व में जानकारी होना संभव नहीं था। अतः जैर अपील म्यूटेशन में मृतक घीसाजी के वारिसान में जो नाम दर्ज किये उसमें मांगीलाल के स्थान पर मनीष कुमार नाम दर्ज किया जाना जाहिए, शेष इन्द्राज सही दर्ज किये गये, जिस बाबत् अपीलाण्ट को कोई आपत्ति नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमावें तथा अपीलाधीन म्यूटेशन में मांगीलाल के स्थान पर मनीष कुमार नाम दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया जावें।

अपील अपीलाण्ट दर्ज किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किये गयें। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 सरकार पैरोकार उपस्थित। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 बावजूद सूचना के अनुपस्थित। अधिवक्ता अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 सरकारी पैराकार की बहस सुनी की गई। पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अपील के साथ अपीलाण्ट के संलग्न विभिन्न दस्तावेज आधारकार्ड, पेनकार्ड, राशनकार्ड, शैक्षणिक दस्तावेजों का अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलाण्ट मनीष कमार ही मृतक घीसाजी का पुत्र है। जिसका नाम नामान्तरण संख्या 1511 में मांगीलाल दर्ज कर दिया गया है जो कि गलत है, जिसे सही किया जाना न्यायसंगत है।

पेज लगातार 03 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य होने से म्यूटेशन अपील स्वीकार किया जाकर ग्राम नारलाई के नामान्तरकण संख्या 1511 स्वीकृति दिनांक 05.12.2012 को निरस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है एवं तहसीलदार देसूरी को निर्देशित किया जाता है कि अपीलाण्ट के पिता मृतक घीसाजी के वारिसानों का नामान्तरकरण पुनः सही दर्ज करें जिसमें मांगीलाल के स्थान पर मनीष कुमार पुत्र घीसाजी का नाम दर्ज किया जावें। तहसीलदार देसूरी को निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

(विवेक व्यास) R.A.S
सहायक कलक्टर
देसूरी
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

निर्णय आज दिनांक 5/6/2024 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देसूरी

सहायक कलक्टर
देसूरी
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)